न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :- 188/2020
जी.सी.एम.एस.संख्या :- 2020/00341

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.ताजाराम पुत्र बगताराम 2.बाबुलाल पुत्र हराराम जाति भील निवासी मूगड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.महावीर पुत्र बाबुलाल 2.चेतन पुत्र बाबुलाल 3.ललित पुत्र बाबुलाल 4.पवनी बेवा बाबुलाल 5.भंवरलाल पुत्र देवीचंद 6.छगनलाल पुत्र देवीचंद 7.संतोषकुमार पुत्र देवीचंद 8.दिलीप कुमार पुत्र देवीचंद जाति ओसवाल महाजन निवासी मूगड़ा तहसील पचपदरा 9.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 6 व 7
3.विप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 8 एकपक्षीय
4.विप्रार्थी संख्या 09 अनुपस्थित।

:आदेश :

दिनांक- 25/03/2026

1. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण 1.ताजाराम पुत्र बगताराम 2.बाबुलाल पुत्र हराराम जाति भील निवासी मूंगड़ा तहसील पचपदरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1625/849 व 1845/849 मौजा मूंगड़ा तहसील पचपदरा में कृशि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1613/846 में से 03 गट्टा चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा बरंग लाल ए से बी कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री चेलाराम कुमावत की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। उक्त विप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 8 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 09 तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल है।

3. तत्पश्चात् प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवेदन-पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1613/846 भूमि में से 03 गटटा बंरग लाल चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में विकल्प अ अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थीगण को आपति नहीं है। प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

4. इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थीगण की ओर से आवेदित रास्ता का आवागमन के लिए कभी प्रयुक्त नहीं रहा है तथा न ही मौके पर रास्ता के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण की ओर से केवलमात्र विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से आवेदन पत्र पेश किया गया है। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रार्थीगण की ओर से आवेदित खसरान के अलावा भी रास्ता के विकल्प है। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5. **हमनें** उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन कियाा तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 1613/846 में से 03 गटटा चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विप्रार्थी संख्या 6 व 7 को छोड़ते हुए विप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 8 बावजूद नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई है। विप्रार्थी संख्या 09 तहसीलदार पचपदरा ने मौका

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु तीन विकल्प सहित रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :-

6. जिसमें विकल्प अ अनुसार बरंग रंग हरा दर्शित है,रास्ता की दूरी 193 गटढा बताया है। विकल्प ब अनुसार बरंग हरा दर्शित है तथा विकल्प स अनुसार बरंग बैगनी दर्शित है तथा रास्ता की दूरी 222 गटढा बताया गया है।
7. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251-क,राजस्थान का''तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः-

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और
ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1845/849 व 1625/849 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251-क प्रावधानानुसार प्रार्थीगण आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध किया गया हैं। तहसीलदार पचपदरा की मौका रिपोर्ट में तीन विकल्प बताई गए है। विकल्प अ में प्रस्तावित रास्ता की दूरी तीन विकल्प मे से कम दूरी है तथा रास्ता भी सेढा सेढ व्यवहारिक प्रस्तावित किया गया है। विकल्प सी से डी रास्ता अव्यवहारिक होना प्रतीत होता है,क्योकि रास्ता इतना तिरछा,कोणयुक्त व बेतरतीब है कि आवागमन के लिए उपर्युक्त नही है। इसी प्रकार विकल्प ब में प्रस्तावित रास्ता की दूरी 222 गटढा है,जो विकल्प अ से बहुत अधिक है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता के खाातेदारान पक्षकार भी नही है और पक्षकार बनाया जाकर प्रकरण को अनावश्यक लंबित करना होगा। जबकि हस्तगत प्रकरण में

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रास्ता दिए जाने की परिभाषा है कि कम से कम रास्ता में जमीन का कटाण होना चाहिए तथा आवागमन के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने पर ही रास्ता दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में रास्ता के तीन विकल्प मे से विकल्प अ में प्रस्तावित रास्ता ही दिया जाना विधि सम्मत है तथा नजदीक दूरी का रास्ता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र स्वीकार योग्य है।

8. उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 1613/846 मे से रकबा 17 बिस्वा व खसरा संख्या 1625/849 मे से 7 बिस्वा 10 बिस्वासी की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर क्रमशः42249 व 28383/-प्रति बीघा की दुगूनी प्रतिकर हेतु देय क्रमशः 71815/ व 21287/- कुल राशि-93102/- रूपये बनती है,जिसको प्रार्थीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश :-

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम मूगड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1845/849 व 1625/849 में पहुंच हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 8 की खातेदारी खसरा संख्या 1613/846 मे से रकबा 17 बिस्वा व खसरा संख्या 1625/849 मे से 7 बिस्वा 10 बिस्वासी (रास्ता की चौड़ाई 15 फीट कुल गटढा 193) की सार्वजनिक रास्ता हेतु मौका रिपोर्ट में विकल्प अ में दर्शित नक्शानुसार बरंग नीले भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 93102/-(अक्षरे तिरानबे हजार एक सौ दो) रूपयें की राशि संबधित खसरान के खातेदारान को भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(अशोक कुमार) 25/3/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 25/03/2026 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

25/03/2026
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा